

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-588 / 2011

संस्थित दिनांक-08.08.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

अशोक पिता बेनीराम ठाकुर, उम्र 26 वर्ष,

निवासी-ताकला (कला), थाना अरी,

जिला-सिवनी (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-12/01/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-15.05.2011 को समय करीब 5:45 बजे स्थान ग्राम कैण्डाटोला सालेटेकरी से बैहर मुख्य मार्ग गंगाराम परते के मकान के सामने आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी.07/सी.5018 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, वाहन से आहत राधेश्याम को ठोस मारकर उसके पसली की हड्डी को अस्थि भंग कर घोर उपहति किया तथा मृतक उदेलाल को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरोपी ने दिनांक-15.05.2011 को समय करीब 5:45 बजे स्थान ग्राम कैण्डाटोला सालेटेकरी से बैहर मुख्य मार्ग गंगाराम परते के मकान के सामने आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी.07/सी.5018 को उपेक्षापूर्वक व लापरवाही चलाते हुए मृतक उदेलाल एवं आहत राधेश्याम को ठोस मार दिया था, जिससे मृतक उदेलाल को प्राण घातक चोटें कारित हुई थी तथा आहत राधेश्याम को गम्भीर चोटें कारित हुई थी। घटना स्थल पर ही उदेलाल फौत हो गया था। सूचनाकर्ता नीलकंठ द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना बिरसा में दी गई, दर्ज करायी गई। पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर मृतक उदेलाल की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक-09/11 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का

परीक्षण करवाया गया तथा आहत राधेश्याम का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस दुर्घटना कारित वाहन के चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-53/2011, धारा-279, 337 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से वाहन जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा आहत राधेश्याम की चिकित्सीय रिपोर्ट में अस्थि भंग होने से अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.05.2011 को समय करीब 5:45 बजे स्थान ग्राम कैण्डाटोला सालेटेकरी से बैहर मुख्य मार्ग गंगाराम परते के मकान के सामने आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी. 07/सी.5018 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्वक चलाते हुये आहत राधेश्याम को ठोस मारकर उसके पसली की हड्डी में अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्वक चलाते हुये मृतक उदेलाल को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत राधेश्याम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय सुबह टहलने के बाद मृतक उदेलाल के साथ घर वापस आ रहा था तभी एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह रोड़ पर ही गिर गया। वह घटना स्थल पर बेहोश हो गया था। दुर्घटना में ट्रक चालक की गलती थी। उक्त दुर्घटना मे उसे कमर व मस्तिष्क पर चोट आयी थी तथा उदेलाल की मृत्यु हो गई थी।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त ट्रक को कौन चला रहा था तथा कैसे चला रहा था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उक्त गाड़ी का नम्बर भी नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि वाहन दुर्घटना में उसे चोट आयी थी तथा मृतक उदेलाल की मृत्यु हो गई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना किसके वाहन से हुई तथा वाहन कौन चला रहा था, इस बात की जानकारी साक्षी ने न होना प्रकट की है।

6— नीलमणी (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय मृतक उदेलाल और शिव घुमने गये थे, उनके पीछे वह भी घुमने गया था तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। उक्त दुर्घटना में उदेलाल की मृत्यु हो गई और आहत शिव के कमर व सिर पर चोट आयी थी। दुर्घटना कारित ट्रक का नम्बर सी.जी.07 / सी.5018 था, जिसे अशोक ठाकुर चला रहा था। आरोपी दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक को लेकर फरार हो गया था। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 के अनुसार बयान देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर पहुंचने के पहले ही दुर्घटना कारित हो चुकी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन में ट्रक का नम्बर बताये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में किये गये कथन से हटकर प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ट्रक दुर्घटना के कारण मृतक उदेलाल की मृत्यु हो गई थी तथा आहत राधेश्याम शिव को उपहति कारित हुई थी। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित ट्रक का चालन किया जा रहा था और उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी।

7— ओमप्रकाश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय मृतक उदेलाल और आहत राधेश्याम सुबह टहलने के बाद वापस आ रहे थे तो पीछे से उन्हें ट्रक ने टक्कर मारकर गिरा दिया और ट्रक वाला मौके से भाग गया। ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा। उदेलाल की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने टक्कर होते हुये नहीं देखी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ट्रक किसका था और कहां जा रहा था, उसे नहीं मालूम। साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ट्रक दुर्घटना के कारण मृतक उदेलाल की मृत्यु हो गई थी तथा आहत राधेश्याम शिव को उपहति कारित हुई थी। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित ट्रक का चालन किया जा रहा था और उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी।

8— गुहदड (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना सुबह करीब 6 बजे की है, उस समय उसके घर के पास रोड पर टकराने की कुछ आवाज आयी तो वह घर के बाहर निकलकर देखा तो दो लोग घायल अवस्था में थे, उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसमें भारद्राज लिखा हुआ था, किन्तु ट्रक दूर चले जाने के कारण वह उसका नम्बर नहीं देख पाया था। उक्त दुर्घटना में उदेलाल की मृत्यु हो गई थी तथा आहत शिव को गम्भीर चोट लगी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जिस समय दुर्घटना कारित हुई उस समय वह घर के अंदर था, इस कारण उसने दुर्घटना होते हुये नहीं देखा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना कारित वाहन के बारे में भी नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के बाद जब उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो एक ट्रक जा रहा था उसमें भारद्राज लिखा हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बयान पढ़कर नहीं बताया था। साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ट्रक दुर्घटना के कारण मृतक उदेलाल की मृत्यु हो गई थी तथा आहत राधेश्याम शिव को उपहति कारित हुई थी। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित ट्रक का चालन किया जा रहा था और उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी।

9— नीलकंठ (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी.07/सी.5018 तेजी से आया और उदेलाल व राधेश्याम को टक्कर मारकर चला गया। वहां पर उपस्थित लोगों ने ट्रक से टक्कर होना बताया था। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज करायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना की सूचना दिये जाने पर पुलिस ने मार्ग की कार्यवाही प्रदर्श पी-2 तैयार की थी, मृत्यु पंचनामा की सूचना देकर पुलिस ने नक्शा पंचायतनामा तैयार किया था। उक्त कार्यवाहियों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 पुलिस ने तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस समय दुर्घटना कारित हुई, उस समय उसने दुर्घटना होते हुये नहीं देखा। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने केवल ट्रक को देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय वाहन चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लोगों के द्वारा बताया गया था कि ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ट्रक दुर्घटना के कारण मृतक उदेलाल की मृत्यु हो गई थी तथा आहत राधेश्याम शिव को उपहति कारित हुई थी। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित ट्रक का चालन किया जा रहा था और उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी।

10— गंगाराम परते (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह 6 बजे उसके घर के सामने की है, जब वह सुबह उठा तो उसने रोड़ पर मृतक उदेलाल तथा आहत राधेश्याम को घायल अवस्था में देखा था। घटना स्थल पर उसने कोई वाहन नहीं देखा था। आहत राधेश्याम को वाहन से ईलाज भेजे थे। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन घटना स्थल पर लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने टक क्रमांक-सी.जी.07/सी.5018 के चालक ने वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाकर राधेश्याम व उदेलाल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित ट्रक का चालन किया जा रहा था और उसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी।

11— चिकित्सा अधिकारी डाक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.7) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना दिनांक को आहत राधेश्याम को कमर में साधारण चोट आयी थी तथा कमर के ऊपर वाले भाग में स्पाइनल इन्जुरी की संभावना को देखते हुये अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना दिनांक को ही मृतक उदेलाल के शव का परीक्षण किया था। मृतक उदेलाल के शव परीक्षण में मृतक की खोपड़ी टूटने एवं मस्तिष्क बाहर आना पाया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण कोमा था जो मस्तिष्क में आयी चोट के फलस्वरूप होना प्रतीत होती थी। मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप होना प्रकट होती थी। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आहत राधेश्याम शिव को साधारण उपहति के साथ अस्थि भंग होने की संभावना के लिये अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास भेजने की पुष्टि की है तथा मृतक उदेलाल की घटना के समय सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु कारित होने की पुष्टि की है।

12— सुरेश विजयवार (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.05.2011 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को नीलकंठ राहंगडाले की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-53/2011, धारा-279, 337, 304(ए) भा.द.वि. एवं धारा-183, 184 मो.व्ही.एक्ट के तहत प्रदर्श पी-1, नीलकंठ की सूचना पर मार्ग इंटीमेशन क्रमांक-9/2011, प्रदर्श पी-2, पंचायत नामा प्रदर्श पी-3, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4, आहत राधेश्याम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु आवेदन प्रदर्श पी-7 के माध्यम से शासकीय अस्पताल भेजने

की कार्यवाही तथा मृतक उदेलाल के शव का परीक्षण हेतु आवेदन प्रदर्श पी-8 के माध्यम से शासकीय अस्पताल भेजने की कार्यवाही उपनिरीक्षक पंकज द्विवेदी द्वारा की गई थी। उक्त सभी दस्तावेजों पर उपनिरीक्षक पंकज द्विवेदी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है।

13— साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसे उक्त अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक-15.05.2011 को नीलकंठ की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी ओमप्रकाश, नीलकंठ एवं दिनांक-08.06.2011 को गुहदडसिंह, गंगाराम तथा दिनांक-15.06.2011 को नीलमणी, राजेन्द्र, दीपक एवं दिनांक-21.06.2011 को राधेश्याम के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-16.05.2011 को आरोपी अशोक ठाकुर से साक्षियों के समक्ष ट्रक क्रमांक-सी.जी.07/सी.5018 क्षतिग्रस्त हालत में मय दस्तावेज व चाबी के जप्त कर जप्ती पत्रक पी-9 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा ट्रक का विधिवत परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न किया गया था। उसके द्वारा आहत राधेश्याम की चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय ट्रक के चालक के द्वारा मृतक उदेलाल और आहत राधेश्याम को पीछे से टक्कर मारकर चोट पहुंचाया गया था, जिस कारण उदेलाल की मृत्यु हुई तथा राधेश्याम को घोर उपहति कारित हुई। अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रक के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है और न ही दुर्घटना कारित ट्रक के चालक को देखे जाने की पुष्टि की है। अभियोजन साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय वाहन दुर्घटना के कारण मृतक उदेलाल की मृत्यु कारित हुई थी तथा आहत राधेश्याम शिव को उपहति कारित हुई थी, किन्तु उक्त घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी चला रहा था, इस संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। फलस्वरूप आरोपी को उक्त घटना या अपराध कारित करने के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी.07 / सी.5018 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, वाहन से आहत राधेश्याम को ठोस मारकर उसके पसली की हड्डी को अस्थि भंग कर घोर उपहति किया तथा मृतक उदेलाल को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338, 304(ए) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक—सी.जी.07 / सी.5018 मय दस्तावेज के जितेन्द्रसिंह पिता सतपालसिंह, निवासी वार्ड नं. 1, माडल टाऊन भिलाई को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट